मध्यप्रदेश शासन
आदिमजाति कल्याण विभाग
मंत्रालय-भोपाल

आवक क्र. 1870
दिनांक 11/09/15

क्र./सी.एम.सी.एल.डी.पी./2015/141 भोपाल, दिनांक 7-8-2015

//आदेश//

मध्यप्रदेश दृष्टि पत्र 2018 में समावेशी विकास के लिए समाज के वंचित वर्गो हेतु समुचित अवसरों का विस्तार के अनुक्रम में अनुसूचित जनजाति व उन सभी समूहों जिन्हें विशेष एवं केन्द्रित ध्यान की आवश्यकता है, का समेकित विकास राज्य की प्राथमिकता होने की दृष्टि से प्रदेश के सुदूर अंचलों में बसे जनजातीय समाज तक मध्यप्रदेश की जनकल्याण कारी योजनाओं को सुगमता से पहुँचाने के तारतम्य में म.प्र.शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 23-10-2015/3-25 भोपाल, दिनांक 27 मई, 2015 से म.प्र.जन अभियान परिषद् को प्रदेश के 89 अनुसूचित जनजाति विकासखण्डों में मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं संचालन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। परिषद् तदानुसार दायित्वों का निर्वहन करेगी। प्रदेश के विभिन्न 89 अध्ययन केन्द्रों पर अनुमोदन अनुसार वित्तीय प्रबंधन का दायित्व भी जनअभियान परिषद का होगा। तदानुसार निर्देश क्रमांक 1/1 संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है

संलग्न - यथोपरि

7/8/15
(बी0आर0नायडू)
प्रमुख सचिव,
म0प्र0शासन,
आदिम जाति कल्याण विभाग,
मंत्रालय

पृ. क्रमांक/सी.एम.सी.एल.डी.पी./2015/142 भोपाल,दिनांक 7-8-2015

प्रतिलिपि:-

1. महानिदेशक आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल
2. अपर मुख्य सचिव, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग,मंत्रालय, भोपाल
3. अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल
4. अपर मुख्य सचिव, एवं कृषि उत्पादन आयुक्त मंत्रालय भोपाल

5. अपर मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल
6. प्रमुख सचिव, वन मंत्रालय, भोपाल
7. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भोपाल
8. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, भोपाल
9. प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल
10. आयुक्त,आदिवासी विकास सतपुड़ा भवन मप्र भोपाल
11. आयुक्त, एकीकृत बाल विकास सेवाएँ, वात्सल्य भवन भोपाल
12. संचालक, आदिमजाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं, मप्र भोपाल
13. संचालक आदिमजाति अनुसंधान संस्था, भोपाल
14. निदेशक, जन अभियान परिषद् भोपाल
15. निदेशक, अटल बिहारी वाजपेयी लोक प्रशासन संस्थान भोपाल
16. रजिस्ट्रार, महात्मा गांधी ग्रामोदय चित्रकूट विश्वविद्यालय जिला सतना, मप्र
17. संभागीय आयुक्त समस्त मध्यप्रदेश
18. कलेक्टर समस्त म.प्र.
19. संभागीय उपायुक्त समस्त, आदिमजाति कल्याण विभाग, मप्र
20. परियोजना प्रशासक एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना समस्त आदिमजाति कल्याण विभाग मप्र
21. सहायक आयुक्त /जिला संयोजक समस्त आदिमजाति कल्याण विभाग मप्र
22. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, आदिमजाति जनपद पंचायत समस्त, मप्र
23. प्राचार्य उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आदिमजाति विकासखंड समस्त, मप्र
24. स्टेट रिप्रज़ेन्टेटिव, यूनिसेफ मध्यप्रदेश, भोपाल
25. श्री आर.के.मिश्रा, स्टेट कन्सल्टेंट, मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम, उद्यमी विकास संस्थान, म.प्र.भोपाल.

7/8/15

(बी0आर0नायडू)
प्रमुख सचिव,
म0प्र0शासन,
आदिम जाति कल्याण विभाग,
मंत्रालय

निदेश क्र० 1/1

म.प्र.शासन

आदिम जाति कल्याण विभाग

मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम

1. प्रस्तावना–

प्रदेश के सामाजिक, आर्थिक विकास के लिये म.प्र. शासन द्वारा वर्तमान में 200 से अधिक योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनमें से अधिकांश योजनाएं समाज के कमजोर वर्गों विशेष रूप से महिलाओं के उत्थान, सामाजिक, आर्थिक विकास एवं उनके प्रति समाज में सकारात्मक भावनाएं विकसित करने हेतु हैं।

इन योजनाओं का लाभ अंतिम पात्र व्यक्ति तक तभी पहुँच सकता है जब इनके क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण में समाज की भागीदारी हो। प्रत्येक समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो स्वैच्छिकता के भाव से समाज के विकास एवं उत्थान के लिए कार्यरत होते हैं। यदि ऐसे लोगों को जागरूक, क्षमता सम्पन्न एवं सशक्त कर दिया जाए तो वे अधिक प्रभावी एवं व्यवस्थित तरीके से समाज के विकास के लिए कार्य कर सकेंगे। ऐसे ही स्वप्रेरणा से प्रयासरत लोगों को शिक्षित कर सशक्त सामाजिक नेतृत्वकर्ता के रूप में विकसित करने हेतु मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। dकार्यक्रम की अवधारणा. व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास और सामाजिक हितों में उसका उपयोग है।

मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम द्वारा स्थानीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति वर्ग के चयनित महिलाओं एवं पुरूषों को दीर्घकालीन प्रशिक्षण दिया जायेगा जिससे वे अपने क्षेत्रों में सामाजिक विकासात्मक गतिविधियों हेतु नेतृत्व प्रदान कर सकेंगे, शासन की जन-कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज तक पहुंचाने में सहयोग प्रदान कर सकेंगे एवं अपने कैरियर का निर्माण कर सकेंगे ।

मध्यप्रदेश दृष्टि पत्र 2018 में समावेशी विकास के लिए समाज के वंचित वर्गों हेतु समुचित अवसरों का विस्तार के अनुक्रम में अनुसूचित जनजाति व उन सभी समूहों जिन पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है, इस वर्ग का समेकित विकास राज्य की प्राथमिकता है। म.प्र. जन अभियान परिषद् का मूल उद्देश्य शासन तथा समुदाय के मध्य सशक्त

एवं प्रभावी सेतु के रूप में कार्य करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को क्षमता सम्पन्न बनाना साथ ही समाज में स्वैच्छिकता एवं सामूहिकता के भाव को सुदृढ़ करने के लिए सशक्त सामुदायिक नेतृत्वकर्ता तैयार करना भी परिषद का एक उदेश्य है। इसी तारतम्य में प्रदेश के सुदूर अंचलों में बसे जनजाति समाज तक म.प्र. शासन की जन-कल्याणकारी योजनाओं को सुगमता से पहुंचाने ddddके लिए म.प्र.शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश के 20 जिलों के 89 अनुसूचित जनजाति विकासखण्डों में मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम के संचालन एवं क्रियान्वयन का दायित्व म.प्र. जन अभियान परिषद् को सौंपा है।

20 जिलों के अनुसूचित जनजाति के 89 विकासखण्डों की सूची

संभाग	क्र.	जिला	कुल वि.खं.	विकासखण्ड
इंदौर	1	बुरहानपुर	01	खकनार
	2	खण्डवा	01	खालवा
	3	अलीराजपुर	06	भाबरा, अलीराजपुर, जोबट, कट्ठीवाड़ा, उदयगढ़, सोंडवा
	4	झाबुआ	06	झाबुआ, मेघनगर, पेटलाबाद, रामा, रानपुर, थांदला
	5	धार	12	बाघ, डही, धार, धरमपुरी, गंधवानी, कुक्षी, मनावर, नालछा, निसरपुर, सरदारपुर, तिरला, उमरबन
	6	बड़वानी	07	बड़वानी, निवाली, पाटी, पानसेमल, राजपुर, सेंधवा, ठीकरी
	7	खरगौन	07	भगवानपुरा, भीकनगांव, गौंगवा, झिरनिया, महेश्वर, खरगौन, सैगांव
रीवा	8	सीधी	01	कुसमी
	9	उमरिया	01	पाली-2 (गोपारू)
	10	शहडोल	04	बुढ़ार, पाली-1 गोपारू, जयसिंह नगर, सुहागपुर
जबलपुर	11	अनुपपूर	04	अनुपपूर, जैतहरी, कोतमा, पुष्पराजगढ़
	12	बालाघाट	03	बैहर, बिरसा, परसवाड़ा
	13	छिंदवाड़ा	04	बिछुआ, हर्रई, तामिया, जुन्नारदेव,
	14	सिवनी	05	छपारा, धनोरा, घंसौर, लखनादौन, कुर्रई
	15	डिंडौरी	07	अमरपुर, बजाग, डिंडौरी, करंजिया, मेंहदवानी, समनापुर, शाहपुरा

	16	मंडला	09	बीजाडांडी, बिछिया, घुघरी, मोहगांव, नैनपुर, मंडला, मावई, निवास, नारायणगंज
भोपाल	17	होशंगाबाद	01	केसला
	18	बैतूल	07	आठनेर, बैतूल, भैंसदेही, भीमपुर, चिचौली, घोड़ाडोंगरी, शाहपुर
उज्जैन	19	रतलाम	02	बाजना, सैलाना
ग्वालियर	20	श्योपुर	01	कराहल
योग	**20**		**89**	

यह कार्यक्रम जन अभियान परिषद के द्वारा शेष 213 विकासखण्डों में अपने स्त्रोतों से परिषद के कार्यकर्ताओं के लिए चलाया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा अपने विभागीय कर्मचारियों तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए क्षमता विकास के लिए समस्त जिला मुख्यालयों पर संचालित है। कार्यक्रम सभी के लिए समान है परन्तु भाग लेने वाले व्यक्ति, उद्देश्य, क्रियान्वयन के अमले में भिन्नता है।

2 **कार्यक्रम के उद्देश्य-**

- अनुसूचित जनजाति समाज के महिलाओं एवं पुरूषों की प्रदेश के विकास में समान साझेदारी सुनिश्चित करने हेतु क्षमतावर्धन।
- अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को सामजिक विकास के विविध आयामों के सम्बन्ध में जागरूक एवं शिक्षित कर एक कुशल सामाजिक नेतृत्वकर्ता के रूप में विकसित करना।
- समाज के विकास हेतु स्वैच्छिकता एवं सामूहिकता के वातावरण को सुदृढ़ करना।
- शासन की विभिन्न योजनाएं समाज एवं अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना, जिससे समाज की सम्पूर्ण आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति हो सके।
- अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में सामाजिक विकासात्मक गतिविधियों हेतु नेतृत्व उपलब्ध करना।
- समाज कार्य के क्षेत्र में कैरियर निर्माण हेतु अवसर उपलब्ध कराना।
- स्थानीय स्तर पर जागरूक, सशक्त, क्षमतावान नेतृत्वकर्ता तैयार करना।
-

3. माड्यूल्स-

मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम अंतर्गत बैचलर ऑफ सोशल वर्क (नेतृत्व विकास) पाठ्यक्रम हेतु तीन वर्षो के लिए निम्नानुसार मॉड्यूल निर्धारित किये गये हैं-

1 कानूनी साक्षरता
2 ग्रामीण प्रोद्योगिकी
3 विकास में समस्याएं और मुद्दे
4 गैर सरकारी संगठन का गठन और प्रबंधन
5 महिला विकास और सशक्तिकरण
6 नेतृत्व विकास
7 सामुदायिक संगठन और लामबंदी
8 पर्यावरण शिक्षा
9 पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास
10 बाल विकास, संरक्षण और शिक्षा
11 पोषण और स्वास्थ्य देखभाल
12 संचार कौशल और विकास के लिए जीवन कौशल शिक्षा
13 माइक्रोफाइनेंस, माइक्रोक्रेडिट और उद्गम विकास
14 बुनियादी लेखांकन प्रलेखन और दस्तावेज प्रबंधन
15 बुनियादी कम्प्यूटर कौशल
16

प्रथम शैक्षणिक वर्ष-

पाठ्यक्रम के प्रथम शैक्षणिक वर्ष 2015 -16 हेतु निम्नानुसार माड्यूल्स निर्धारित किये गये हैं-

1. विकास की अवधारणा
2. नेतृत्व विकास
3. संचार कौशल और जीवन शिक्षा
4. स्वास्थ्य एवं पोषण
5. बाल विकास एवं संरक्षण

4. पाठ्यक्रम का क्रियान्वयन एवं संचालन-

1 बैचलर ऑफ सोशल वर्क (नेतृत्व विकास) पाठ्यक्रम चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय से संबध्द है जिसकी अवधि तीन वर्षो की है। एक वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर प्रमाण पत्र, fopfoविचारोपरांत दो वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर डिप्लोमा एवं तीन वर्ष सफलता पूर्वक पूर्ण करने पर विश्वविद्यालय द्वारा बैचलर ऑफ सोशल वर्क (नेतृत्व विकास) [Bachelor of social work (Leadership Development)] की उपाधि प्रदान dd करने के बारे में निर्णय लिया जायेगा। पाठ्यक्रम पूर्ण करने की अधिकतम अवधि 7 वर्ष है।

2 पाठ्यक्रम में प्रवेश की न्यूनतम योग्यता 12 कक्षा उत्तीर्ण है। पाठ्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु आयु 18 से 45 वर्ष निर्धारित है।

3 पाठ्यक्रम वार्षिक पध्दति से संचालित होगा। पाठ्यक्रम का वार्षिक शुल्क रू. 3000/- एवं आवेदन पत्र का शुल्क रू. 150/- है। जिसे आवेदन पत्र के साथ विश्वविद्यालय को प्रेषित किया जाना है, इस शुल्क के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क अदा नही करना है।

4 पाठ्यक्रम में आदिवासी बाहुल्य विकासखण्डों में 30 छात्र अनिवार्यत: अनुसूचित जनजाति के होंगे और उनमें भी 50 प्रतिशत महिलायें हैं।

5. शिक्षण हेतु सम्पर्क कक्षाओं का आयोजन -

1 यह पाठ्यक्रम दूरवर्ती शिक्षण पद्धति (Distance EducationDistance Education SystemSystem) द्वारा संचालित है, इसमें शिक्षण कार्य सम्पर्क कक्षाओं के माध्यम से उत्कृष्ट विद्यालयों में सम्पन्न होगा। प्रथम वर्ष हेतु कुल 40 कक्षाओं का संचालन किया जायेगा जो कि प्रत्येक रविवार को निर्धारित अध्ययन केन्द्र में सम्पन्न होंगी। पाठ्यक्रम हेतु छात्रों की 80 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।

अध्ययन केन्द्र के रूप में प्रत्येक विकासखण्ड में स्थित उत्कृष्ट विद्यालय का चयन किया गया है। ये उत्कृष्ट विद्यालय महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्र के रूप में मान्य किये गये हैं तथा उत्कृष्ट विद्यालय के mRd`mप्राचार्य अध्ययन केन्द्र प्रभारी हैं ।

2 प्राचार्य का दायित्व अध्ययन केन्द्र प्रभारी के रूप में पाठ्यक्रम की कक्षाओं का निर्बाध संचालन और ग्रामीण क्षेत्रों में फील्ड वर्क की सतत् निगरानी करना है।

3 अध्ययन की कक्षाएँ चयनित मेंटर्स के द्वारा ली जायेंगी जिनका चयन कर महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय द्वारा 10 दिवस का प्रशिक्षण दिया गया है।

4 मेंटर्स का दायित्व प्रत्येक रविवार को संचालित कक्षाओं में अपने निर्धारित विषय का पठन-पाठन कराना और निर्धारित ग्राम में निर्देशानुसार फील्ड वर्क पूर्ण करना और उसका अभिलेखीकरण करना है।

6. प्रायोगिक प्रशिक्षण/कक्षायें -

1 यह पाठ्यक्रम नेतृत्व क्षमता विकास का है अतः शिक्षण हेतु सम्पर्क कक्षाओं का आयोजन के साथ-साथ इसमें प्रायोगिक कार्य की भी अनिवार्यता रखी गयी है। प्रायोगिक कार्य की अनिवार्यता इस पाठ्यक्रम को अन्य अकादमिक कोर्सेस से अलग पहचान देती है।

2 कक्षाओं के अतिरिक्त प्रत्येक छात्र द्वारा एक गांव को अपनी प्रयोगशाला के रूप में चिन्हित किया जावेगा जिसमें वे सम्पर्क कक्षाओं से प्राप्त ज्ञान का उपयोग करेंगे तथा अपना प्रायोगिक कार्य करेंगे।

3 पाठ्यक्रम में 50 प्रतिशत अंकों का वेटेज फील्ड वर्क अर्थात ग्राम आधारित कार्य को दिया जायेगा, जिसमें से 30 प्रतिशत अंक पूरे वर्ष ग्राम में कार्य करने के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर मूल्यांकन के आधार पर प्रदत्त किया जावेंगे। स्वच्छ भारत अभियान विषय का चयन इस वर्ष के लिए किया गया है। 20 प्रतिशत अंक प्रत्येक माह में प्रदत्त कार्य अर्थात एसाइनमेंट के लिए होंगे। यह 2-2 अंक के 10 एसाइनमेंट होंगे।

4 छात्रों के वर्ष भर में ग्रामाधारित कार्य ग्राम के आर्थिक, सामाजिक विकास, समग्र स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण व समसामयिक विषयों पर केन्द्रित होंगे।

5 कक्षाओं के दौरान नियमित रूप से अपने निर्धारित विषयों पर अपने अनुभवों का आदान-प्रदान करने पर छात्रों के मध्य एक दूसरे से भी सीखने की प्रबल संभावना बनी रहेगी।

6 प्रत्येक व्यक्ति व उनके गांव की परिस्थितियां अलग होती हैं। एक ही समस्या का समाधान विभिन्न लोगों के द्वारा विभिन्न तरीकों से किया जाकर विभिन्न श्रेणी के समाधान निकल सकेंगे। यही समाधानों को ढूंढने व समुदाय को क्रियान्वयन करने से उनमें नेतृत्व क्षमता का विकास होगा।

7: रणनीति/कार्यविधि-

1 **स्थल** - प्रत्येक विकासखण्ड स्तर पर शिक्षण हेतु सम्पर्क कक्षाओं का संचालन उत्कृष्ट विद्यालय में उपलब्ध कक्ष में प्रत्येक रविवार को किया जायेगा। वहां 40 छात्रों के बैठने, श्यामपट, विद्युत, पंखे, जल, प्रसाधन, लेपटॉप, प्रोजेक्टर, इंटरनेट, संदर्भ हेतु पुस्तकें एवं मैगजीन इत्यादि की आदि आवश्यक व्यवस्था रहेगी।

2 **स्त्रोत व्यक्ति (MentorsMentors)** - प्रत्येक विकासखण्ड स्तर पर ऐसे 5 विषय विशेषज्ञों/स्त्रोत व्यक्ति (MentorsMentors)ntors) का चयन किया गया है जो स्नात्कोत्तर हों एवं जिन्हें सामाजिक कार्य का न्यूनतम 10 वर्षों का अनुभव हो। विषय विशेषज्ञों/स्त्रोत व्यक्ति (MentorsMentors)चयन कर महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय द्वारा 10 दिवस का आवासीय प्रशिक्षण दिया गया है।

3 **छात्र-छात्राओं का चयन** -

- इस पाठ्यक्रम हेतु प्रत्येक विकासखण्ड में जनअभियान परिषद् द्वारा 18 से 45 वर्ष तक के 12वीं पास ऐसे 30 अनुसूचित जनजाति वर्ग के महिलाएं एवं पुरूषों का चयन किया गया है जो सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय है एवं इस क्षेत्र में कैरियर बनाने हेतु उत्सुक हैं। वे ग्राम पंचायत के स्थानीय रहवासी हैं। चयनित छात्रों में 50 प्रतिशत महिलाओं का चयन किया गया है।
- प्रत्येक विकासखण्ड में 30 अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्राओं/छात्रों के अतिरिक्त परिषद् द्वारा 10 अन्य छात्राओं/छात्रों का भी चयन किया गया हैA।छात्रों के चयन में ऐसे लोगों को प्राथमिकता दी गई है जिनके द्वारा अपनी सक्रिय भागीदारी तथा नेतृत्व क्षमता से समाज में पहचान प्राप्त किया हो। जैसे-स्वसहायता समूह के अध्यक्ष, पंचायती राज संस्थाओं के पंच-सरपंच, जनपद जिला पंचायत सदस्य इत्यादि अथवा जिन्होंने शासन के विभिन्न अभियान जैसे साक्षरता अभियान, सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान, पल्स पोलियो अभियान, जंन अभियान परिषद् के कार्यक्रम इत्यादि में सक्रिय भागीदारी निभायी हो।

विकासखण्ड वार वित्तीय प्रबंधन निम्नानुसार रहेगा :-

- कुल प्रशिक्षण अवधि : 40 दिवस (प्रत्येक रविवार को)
- केन्द्र प्रभारी : 1
- विषय विशेषज्ञ(Mentors) : 5 प्रति दिवस
- कुल प्रतिभागी : 30 + 10 प्रति दिवस

क्र.	मद	विवरण	राशि (लाख रू. में) (1 वि.ख. हेतु)	राशि (लाख रू. में) (89 वि.ख. हेतु)
1	केन्द्र प्रभारी प्राचार्य हेतु मानदेय	1 व्यक्ति @ रू.1000/- x 40 दिवस	0.4	35.6
2	मेंटर्स/विषय विशेषज्ञों हेतु मानदेय	5 व्यक्ति @ रू.600/- x 40 दिवस	1.2	106.8
3	प्रतिभागी छात्र/छात्राओं हेतु यात्रा भत्ता	30 छात्र/छात्राएं @ रू.100/-x 40 दिवस	1.2	106.8
4	विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र/छात्राओं के लिए प्रवेश शुल्क	30 छात्र/छात्राएं x रू.150/-	0.045	4.005
5	छात्र/छात्राओं की परीक्षा/कोर्स हेतु विश्वविद्यालय के लिए परीक्षा/कोर्स शुल्क	30 छात्र/छात्राएं x रू.3000/-	0.9	80.1
6	भृत्य हेतु मानदेय	1 व्यक्ति@ रू.200 x40 दिवस	0.08	7.12
7	विषय विशेषज्ञ/मेंटर्स हेतु राज्य स्तरीय रिफ्रेशर ट्रेनिंग तथा कोर्स क्रियान्वयन एवं संचालनकर्ता (जअप कर्मचारियों) हेतु मानदेय		0.52	46.28